**उत्तर प्रदेश शासन**

**ग्राम्य विकास अनुभाग-9**

**संख्या-27/2017/ पी-367/अड़तीस-9-17-10(पीएमजीएसवाई)/2003टी0सी-।।**

**लखनऊ : दिनांक-29 जून, 2017**

**<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>**

उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के गठन विषयक शासनादेश संख्या-2978/38-4-03-10पीएमजीएसवाई/03, दिनांक-15.11.2003 द्वारा अनुमोदित स्मृति-पत्र/नियमावली के नियम-06 में निर्धारित प्राविधानों के सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की साधारण सभा की बैठक दिनांक-25.05.2016 में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त दिनांक-10.06.2016 के दृष्टिगत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या-659/ए-321/यू0पी0आर0आर0डी0ए0 /2015, दिनांक-30.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार उक्त नियम को संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार नियम-06 में उल्लिखित प्राविधानों (तालिका के कालम-01) को निम्न तालिका के कालम-02 के अनुसार संशोधित समझा जाय:-

| **वर्तमान व्यवस्था** | | | **संशोधित व्यवस्था** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **2** | | |
| **क्र0सं0** | **पदनाम/पता** | **अभिकरण में पद** | **क्र0सं0** | **पदनाम/पता** | **समिति में पद** |
| **नियम-06** | | | | | |
| **1.** | प्रभारी मंत्री, ग्राम्य विकस विभाग, उत्तर प्रदेश | सभापति | **1.** | प्रभारी मंत्री, ग्राम्य विकस विभाग, उत्तर प्रदेश | सभापति |
| **2.** | अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0। | उप सभापति | **2.** | अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0। | उप सभापति |
| **3.** | प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। | सदस्य सचिव | **3.** | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। | सदस्य सचिव |
| **4.** | प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। | सदस्य | **4.** | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। | सदस्य |
| **5.** | प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 शासन। | सदस्य | **5.** | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन। | सदस्य |
| **6.** | प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। | सदस्य | **6.** | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। | सदस्य |
| **7.** | आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ। | सदस्य | **7.** | आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ। | सदस्य |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.** | प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ। | सदस्य | **8.** | प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ। | सदस्य |
| **9.** | निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ। | सदस्य | **9.** | निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ। | सदस्य |
| **10.** | भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य | **10.** | भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| **11.** | प्रोजेक्ट प्रस्तावों के तकनीकी परीक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा नामित स्टेट टेक्निकल एजेन्सी के एक-एक प्रतिनिधि | सदस्य | **11.** | प्रोजेक्ट प्रस्तावों के तकनीकी परीक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा नामित स्टेट टेक्निकल एजेन्सी के एक-एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| **12.** | योजनान्तर्गत स्टेट क्वालिटी कोआर्डिनेटर | सदस्य | **12.** | योजनान्तर्गत स्टेट क्वालिटी कोआर्डिनेटर | सदस्य |
| **13.** | योजनान्तर्गत स्टेट कोआर्डिनेटर ऑफ इन्फारमेंशन एवं टेक्नोलॉजी | सदस्य | **13.** | योजनान्तर्गत स्टेट कोआर्डिनेटर ऑफ इन्फारमेंशन एवं टेक्नोलॉजी | सदस्य |
| **14.** | अपर आयुक्त, परियोजना (तकनीकी), | सदस्य | **14.** | मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ। | सदस्य |
| **15.** | अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ। | सदस्य | **15.** | वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ। | सदस्य |
| **16.** | मुख्य अभियन्ता, (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ। | सदस्य | **16.** | मुख्य अभियन्ता, (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ। | सदस्य |
| | | | **17.** | मुख्य कार्य पालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ। | सदस्य। |

**2-** उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के गठन विषयक शासनादेश संख्या-2978/38-4-03-10पीएमजीएसवाई/03, दिनांक-15.11.2003 द्वारा अनुमोदित स्मृति-पत्र/नियमावली उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय।

**एन0एस0रवि**
अपर मुख्य सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या-27/2017/ पी-367 (1)/अड़तीस-9-2017 तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

2- निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

3- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/वित्त विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

7- निजी सचिव, विशेष सचिव (जुहैर बिन सगीर), उ0प्र0 शासन को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

8- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

10- स्टेट क्वालिटी कोआर्डिनेटर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।

11- स्टेट कोआर्डिनेटर ऑफ इन्फारमेंशन एवं टेक्नोलॉजी (पीएमजीएसवाई), उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकस अभिकरण, लखनऊ।

12- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-659/ए-321/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2015, दिनांक-30.05.2017 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त संशोधन से कार्यालय निबन्धक समितियॉ को अवगत कराते हुये यथोचित कार्यवाही तत्काल कराने का कष्ट करें।

13- मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।

14- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।

15- मुख्य अभियन्ता, (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

16- गार्डबुक।

**आज्ञा से,**

**सुरेश कुमार पाण्डेय**
संयुक्त सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।